

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN  
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Application No. 110/2026

Kamal Gehlot S/o Laxminarayan Gehlot, Aged About 35 Years, R/  
o Nahargarh Tehsil Sitamau, Dist. Mandsaur (Madhyapradesh).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

---

For Petitioner(s) : Mr. Ali Mohammed Khan  
For Respondent(s) : Mr. Sudesh Saini, PP

---

**HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA**

**Order**

**27/02/2026**

यह प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त कमल गहलोत के जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या 5349/2025 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2025 में प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या में संशोधन करने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का कथन है कि उक्त आदेश में प्रथम पैरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 58/2024 पुलिस थाना विजय नगर जिला अजमेर अंकित है जबकि वास्तविक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 299/2016 पुलिस थाना विजय नगर जिला अजमेर है, अतः न्यायहित में उक्त लिपिकीय त्रुटि के सम्बन्ध में आदेश में संशोधन किया जाए।

आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। आदेश दिनांक 19.09.2025 में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 58/2024 अंकित हो गया है, जबकि वास्तव में यह जमानत प्रार्थना-पत्र एफआईआर संख्या 299/2016 पुलिस थाना विजय नगर जिला अजमेर में पेश किया गया था। इस प्रकार आदेश में एफआईआर की संख्या में लिपिकीय त्रुटि होना प्रकट हो रहा है। अतः न्यायहित में एफआईआर की संख्या के सम्बन्ध में संशोधन किया जाना उचित है।

परिणामतः यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिनांक 19.09.2025 में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 58/2024 के स्थान पर 299/2016 पढ़े जाने का आदेश दिया जाता है। यह आदेश दिनांक 19.09.2025 के आदेश का भाग समझा जावे।

उक्तानुसार प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का निस्तारण किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J